सतत विकास लक्ष्यों की ओर बजट

उत्सव कुमार सिंह
सीमा

'हमें इस दुनिया के भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए' -महात्मा गांधी

बजट वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढुलमुल रूझान तथा राजनीतिक बदलाव को देखते हुए बनाया गया है। आज विश्व संरक्षणवाद की नीति के दबाव में वैश्विक उत्पादों, सेवाओं और लोगों को हाशिए पर ला दिया है जिसे देखते हुए यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, मूलभूत संरचना के साथ ही गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बजट 2017-18 का मूलमंत्र टेक इंडिया अर्थात ट्रांस्फॉर्म, एनरजाइज एंड क्लीन इंडिया (नया, ऊर्जावान और स्वच्छ भारत) है। इस मूल मंत्र की व्यापकता को अमलीजामा पहनाने के लिए बजट में दस स्तंभों का अनुमोदन किया गया है, ये स्तंभ सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं

आज विश्व ने पिछले कई वर्षों के सतत प्रयास से सामाजिक प्रगति में एक अभूतपूर्व मुकाम हासिल किया है। जिसके परिणामस्वरूप गरीबी में लगातार गिरावट आयी है और लोग पहले से ज्यादा स्वस्थ और शिक्षित हुए हैं। हालांकि, यह प्रगति असमान है, समाज में आज भी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं, और कई मामलों में पहले से ज्यादा विषम हो गयी है। जिसके फलस्वरूप आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी अपने जीवन को इस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान को मुख्यधारा से जोड़ने में रूकावट महसूस करता हैं। इन समस्याओं से रू-ब-रू होते हुए संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने दूसरी सहस्त्राब्दी के आरंभ में समावेशी विकास के नये उद्देश्य से *सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी): 2015* का खाका प्रस्तुत किया, जिसकी प्राप्ति का लक्ष्य 2015 रखा गया था।

इन लक्ष्यों के अनुभव तथा बदलती दुनिया के जरूरतों के आधार पर विकास के अधूरे कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से *सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी): 2030* को सितंबर 2015 के संयुक्त राष्ट्र आम सभा के शिखर सम्मलेन के दौरान 193 सदस्य देशों ने अपनाया तथा 1 जनवरी, 2016 से पूरे विश्व में एक साथ लागू किया। इस घोषणा पत्र के 17 लक्ष्य है जो 169 अलग-अलग क्षेत्रों को योजनाबद्ध तरीके से चिह्नित करते हुए अगले 15 वर्षों में लक्ष्य की प्राप्ति का उद्देश्य रखते हैं। प्रकृति के पंच तत्वों की तरह एसडीजी के भी पांच प्रमुख तत्व है (लोग, ग्रह, शांति, समृद्धि और साझेदारी) इनके समन्वय से लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे इसके तहत वर्ष 2030 तक विश्व से गरीबी के हर स्वरूप के साथ ही भूख का उन्मूलन, लैंगिक असमानता उन्मूलन को सुनिश्चित करने तथा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराना है। घोषणापत्र के लक्ष्य इसकी व्यापकता को दर्शाते है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अब सिर्फ आर्थिक विकास मात्र विकास का द्योतक नहीं होगा बल्कि आर्थिक विकास के साथ ही हमें नागरिकों के बीच समानता, सुरक्षा, समृद्धि तथा न्यायपूर्ण व्यवस्था को भी इसमें शामिल करना होगा। जिससे समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी प्राप्ति के लिए नये सिरे से सरकार, व्यापार, नागरिक, समाज, और व्यक्तियों के बीच एक वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता होगी। हम 169 लक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में तभी प्रगति कर सकते हैं, जब हम राष्ट्रीय तथा वैश्विक विकास को सतत और सम्यक मार्ग प्रदान करें।

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने एसडीजी के लक्ष्य को हासिल करने में भारत को एक महत्वपूर्ण देश मानते हुए कहा कि ''वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य के प्राप्ति में भारत नेतृत्व प्रदान करने

लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकी विभाग में आईसीएसएसआर डॉक्टरल फेलो हैं। एमडीजी, एसडीजी तथा अन्य विकास संबंधी मुद्दे उनके पसंदीदा विषय हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में नियमित लेखन भी करते हैं। ईमेल: singh.utsav@gmail.com
लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय के अफ्रीकी विभाग में यूजीसी की सीनियर रिसर्च फेलो हैं। ईमेल: seema.choudharys@gmail.com

की अग्रणी स्थिति में है.... हम अपने जीवन और समूचे विश्व को सतत विकास के पथ पर ले आये हैं जिसकी प्राप्ति में भारत का मार्ग और नेतृत्व अहम होगा"... बान की मून के इस कथन की छाप 2015 के संयुक्त राष्ट्र आमसभा शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भारत के अभिभाषण में भी झलकती है। प्रधानमंत्री ने एसडीजी लक्ष्यों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के विचार 'अंत्योदय' के कल्याण से जोड़ते हुए कहा कि भारत का विकास ढांचा सतत विकास लक्ष्य को प्रतिबिंबित करता है साथ ही उन्होंने घोषणा-2030 के प्रति भारत के बुलंद और व्यापक नजरिये की बात कही। इसी सन्दर्भ में प्रधानमंत्री ने 31 मई, 2016 के व्याख्यान में भारतीय अर्थव्यवस्था की चिंताओं को चिह्नित करते हुए गरीबों के लिए घर, किसानों को राहत, एमएसएमई को ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहन, गर्भवती महिलाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के साथ ही दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ही महिलाओं को मुद्रा योजना में वरीयता देने की बात कही, जिसका जिक्र वित्तमंत्री ने बजट 2016-17 के भाषण में किया।

आम बजट 2017-18

आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि यह बजट वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था के ढुलमुल रवैये के साथ ही वैश्विक आर्थिक तथा राजनीतिक बदलाव को देखते हुए बनाया गया है। आज विश्व संरक्षणवाद की नीति के दबाव में वैश्विक उत्पादों, सेवाओं और लोगों को हाशिए पर ला दिया है जिसे देखते हुए यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, मूलभूत संरचना के साथ ही गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के क्रियान्वयन को ध्यान में रखकर बनाया है। बजट 2017-18 का मूलमंत्र टीईसी इंडिया अर्थात *ट्रांस्फॉर्म, एनरजाइज एंड क्लीन इंडिया (नया, ऊर्जावान और स्वच्छ भारत)* रहेगा। इस मूल मंत्र की व्यापकता को अमलीजामा पहनाने के लिए बजट में दस स्तंभों का अनुमोदन किया हैं, यो स्तंभ सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। इसमें प्रमुखत: शिक्षा और कृषि, ग्रामीण आबादी तथा युवा विकास के लक्ष्यों को गति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे।

सतत विकास लक्ष्य और बजट

एसडीजी 1 गरीबी के किसी भी स्वरूप के उन्मूलन की बात करता है। विश्व में 80 प्रतिशत गरीब जनसंख्या ग्रामीण इलाके में रहती है जिनके लिए कृषि ही रोजगार का एकमात्र साधन है (एफएओ, 2016)। गरीबी उन्मूलन का जंग ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण आबादी सीधे या परोक्ष तौर पर आमदनी और भोजन के लिए खेती या इससे जुड़े कार्यों पर ही आश्रित है। तमाम आर्थिक विकास के बावजूद आज भी भारत की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है और जीवनयापन के लिए कृषि पर निर्भर करती है और आज भी 60 प्रतिशत भारतीय कृषि जनित रोजगार से जुड़े हैं। कृषि एवं इससे संबद्ध क्षेत्र भारत की अधिकांश जनसंख्या, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार और पर्यावरण तकनीक जैसे कि मृदा संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन आदि के संदर्भ में स्थायी कृषि ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। इन बिन्दुओं को केंद्र में रखते हुए समग्र विकास हेतु सरकार खेती से लाभ को सुनिश्चित करने के लिए बजट 2017-18 में कृषि ऋण का लक्ष्य 10 लाख करोड़ सुनिश्चित किया है साथ ही अतिरिक्त लाभ के लिए डेयरी के माध्यम से दुग्ध प्रसंस्करण सुविधा और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय कर सकने में आसानी हो और देश की आर्थिक प्रगति को गति दे सके।

खाद्यान्नों की हो रही बर्बादी को रोकने की दिशा में सरकार ने किसानों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की पहल करते हुए इनकी संख्या मौजूदा 250 से बढ़ाकर 585 एपीएमसी तक करने की घोषणा की है। साथ ही खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक ई-कृषि बाजार को 75 लाख रूपये देने की बात कही है, जिससे किसान स्वच्छ ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा की लाभ उठा सकें।

एसडीजी 2 भूख निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। आज भूख के मामले आपूर्ति से जुड़े हुए नहीं है बल्कि कटाई के बाद रखरखाव के संसाधनों की कमी की वजह से खाद्यानों की बर्बादी से जुड़े हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में यह पाया गया कि बर्बादी की मात्रा सबसे अधिक फलों और सब्जियों में है जो कि लगभग 40 प्रतिशत के आस-पास है। खाद्यान्नों की हो रही बर्बादी को रोकने की दिशा में सरकार ने किसानों को सीधे राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ने की पहल करते हुए इनकी संख्या मौजूदा 250 से बढ़ाकर 585 एपीएमसी तक करने की घोषणा की है। साथ ही खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक ई-कृषि बाजार को 75 लाख रूपये देने की बात कही है जिससे किसान स्वच्छ ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा की लाभ उठा सकें।

एसडीजी 3 सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। बेहतर स्वास्थ्य मानव जीवन में सेहत और खुशहाली का केंद्र बिंदु है। स्वस्थ समाज देश के आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वस्थ आबादी की उम्र लंबी होती है साथ ही वो ज्यादा मेहनतकश होते हैं और बचत भी ज्यादा करते हैं (डब्ल्यूएचओ, 2008)। इहीं बातों के मद्देनजर सरकार नयी स्वास्थ्य रक्षा नीति के माध्यम से प्रत्येक परिवार को एक लाख रूपये तक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 तक अतिरिक्त टॉप-अप आधार कार्ड के माध्यम से देने का प्रावधान है।

एसडीजी 4 और एसडीजी 8 समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर प्रदान करने पर जोर देते हुए सबके लिए उम्दा कार्य के द्वारा आर्थिक विकास की परिकल्पना करते हैं। भारत आज जनांकिकीय लाभांश के दौर में है जहां 65 प्रतिशत आबादी युवा है और अपने भरण-पोषण के लिये किसी और पर आश्रित नहीं है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अभाव में यह आबादी अभिशाप भी हो सकती है। हाल ही में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी

ने भारत में आर्थिक संवृद्धि को समावेशी बनाए जाने को नीति-निर्माताओं के सामने मौजूद एक बड़ी चुनौती करार देते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि हम अपने जनांकिकीय लाभांश को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा वैश्वीकरण से प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करें, जिससे वो भी वैश्वीकरण की सुविधाओं से जुड़ सके। इस चुनौती को मौजूदा सरकार ने समझते हुए वैकल्पिक रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया जो बजट 2017-18 में भी प्रदर्शित होता है। बजट में कौशल विकास हेतु 1,804 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है साथ 1,500 बहु-कौशल केंद्रों की स्थापना होगी। उम्दा नौकरियों को रफ्तार देने के लिए *प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना* को 600 जनपदों तक ले जाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के लिए अभिनव कोष का गठन होगा जो स्थानीय नवाचार को पहचानकर उसे बढ़ावा देने का कार्य करेगी जिससे वैश्विक पहुंच सुनिश्चित होगी। *मेक इन इंडिया* के तहत घरेलू उद्योग को वैश्विक बाजार के प्रतिस्पर्धा में स्थापित करने हेतु कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क दरों में बदलाव किया गया है। जिससे उत्पादन लागत घटायी जा सके तथा सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर, पूंजीगत माल, रक्षा, उत्पादन, वस्त्र, खनिज, ईंधन, खनिज तेल, रसायन और पेट्रो रसायन, कागज, गत्ते और न्यूजप्रिंट, वायुयानों का अनुरक्षण, मरम्मत और पूरी जांच (एमआरओ) तथा जहाजों की मरम्मत वाले क्षेत्रों में भारतीय घरेलू उद्योगों की भागीदारी बढ़े।

एसडीजी 5 लिंग समानता को प्रोत्साहित करता है जिससे आधी आबादी बराबरी के साथ कदमताल कर सके। भारत के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी मात्र 21.9 प्रतिशत है जो की पुरुषों के 54.4 प्रतिशत के मुकाबले आधे से भी कम है (एनएसएसओ, 2012) । आईएमएफफ की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर श्रमबल में लिंग अनुपात की बराबरी की दशा में दक्षिण एशिया के जीडीपी में 23 प्रतिशत और भारत के जीडीपी में 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जा सकती है (आईएमएफ, 2015)। भारत में समान पारिश्रमिक अधिनियम 1974 से लागू है लेकिन पहली बार समान पारिश्रमिक प्रदान करने वाला कार्यक्रम 2009 में *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)* के रूप में आया, जिसमें 100 दिन के रोजगार गारंटी के साथ ही महिलाओं को बराबर वेतन का प्रावधान है। विगत वर्षों में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत तक आंकी गयी हैं। मनरेगा से ग्रामीण विकास के साथ ही इसके तहत खोले गए बैंक खातों से वित्तीय समावेशीकरण को भी बढ़ावा मिलता है और इसके तहत खोले गए बैंक खातों से सरकार की *नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना* में मदद मिलेगी। मनरेगा दुनिया में गरीबी मिटाने की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। मौजूदा सरकार ने मनरेगा को गतवर्ष से अधिक बजट आवंटित किया है जो वर्ष 2016-17 के 38,500 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017-18 में 48,000 करोड़ हो गया है।

एसडीजी 6 का उद्देश्य सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बजट में इसका पूरा ध्यान रखते हुए स्वच्छता की ओर उन्मुख सरकार ने भारत में *खुले में शौच* का अंत को लेकर प्रतिबद्ध है। *स्वच्छ भारत* के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में इसके आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गयी है जो की 42 प्रतिशत (2014) से बढ़कर 60 प्रतिशत (2016) हो गयी है। कृषि कार्यों हेतु भू-जल के अत्यधिक दोहन ने जल की समस्या खड़ी कर दी हैं जिसे रोकने के लिए सरकार ने *प्रति बूंद अधिक फसल* जैसे महत्वाकांक्षी योजना को बढ़ावा देते हुए नाबार्ड में एक सूक्ष्म सिंचाई कोष का प्रावधान किया है जिससे जल के साथ ही जीवन का भी संरक्षण हो सके साथ ही एसडीजी 6 जो जल एवं स्वच्छता की बात करता है, के लक्ष्य को पाया जा सकता है, जो कम पानी की लागत से ज्यादा पैदावार की बात करता है। आज विश्व के 70 प्रतिशत भू-जल का उपयोग हो चुका है। विकासशील देशों में यह आंकड़ा 95 प्रतिशत तक है। पीने योग्य पानी की कमी के न्यूनीकरण में भी यह कदम सार्थक सिद्ध होगा। *राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम* ग्रामीण उपमिशन के तहत 28000 आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

एसडीजी 7 का उद्देश्य सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ऊर्जा खाद्य आपूर्ति और बेहतर पोषण पाने की सक्षम कुंजी है। ऊर्जा पर लागत खाद्य पदार्थों की कीमत को भी प्रभावित करती है। खाद्य प्रणाली विश्व में मौजूद ऊर्जा का 30 प्रतिशत उपभोग करती है जो कि जीवाश्म ईंधन पर आधारित है जिसका न्यूनीकरण अति आवश्यक है। जिसे देखते हुए बजट में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है जिसके तहत सौर पार्क विकास के दूसरे चरण का विस्तार करके अतिरिक्त 20,000 मेगावाट क्षमता की शुरूआत की जाएगी।

एसडीजी 11 सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण के लिए प्रति प्रतिबद्ध है, जिसको देखते हुए *प्रधानमंत्री आवास योजना* का बजट आवंटन 2016-17 के 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 23,000 करोड़ कर दिया है साथ ही वर्ष 2019 तक 1 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा है जिससे गरीबों को सुरक्षित और टिकाऊ घर मुहैया कराया जा सके।

एसडीजी 15 पृथ्वी पर जीवन को दर्शाता है। सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना ही इस लक्ष्य का उद्देश्य है। जिससे नितांत भौतिकतावादी जीवन प्रणाली को कम करके उसे प्रकृति उन्मुख बनाया जा सके।

समग्र रूप में अगर हम बजट 2017-18 का अवलोकन करें तो पाते हैं कि यह बजट एसडीजी के तमाम लक्ष्यों को अपने में समाहित किये सतत विकास को सुनिश्चित करता है। ऐसा विकास जो अंत्योदय के सपने को साकार कर सके। ऐसा विकास जो पंक्ति के हर उस आदमी तक पहुंच सके जिसे गांधी जी ने पंक्ति का अंतिम आदमी कहा था। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य : 2030 के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ❑

संदर्भ

- https://pib-nic-in/newsite/PrintRelease-aspÛ\relid¾136875
- https://Imf-org
- http://www-fao-org/
- http://indiabudget-nic-in/ub2017&18/bh/bh1-pdf
- https://sustainabledevelopment-un-org/sdgs
- https://un-org